पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :–No./Acad./2021/20589 दिनांक : 14-07-2021

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2021 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2021 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रबंध बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे:

1. प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. पुष्पा चौधरी,	संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान	सदस्य
3. डॉ. दिलसुख थालौड़,	संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
4. डॉ. डी.पी. मीणा,	संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
5. डॉ. नीलम भार्गव,	संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
6. डॉ. अशोक गोदारा,	संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
7. डॉ. सुरेश कुमार नायक,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड विधि	सदस्य
8. डॉ. एन. के. बावलिया,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड वनस्पति विज्ञान	सदस्य
9. डॉ. नीना गुप्ता,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड जन्तु विज्ञान	सदस्य
10. डॉ. नवरंग लाल जांगिड,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित	सदस्य
11. डॉ. मनोज कुमार,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल	सदस्य
12. डॉ. महेन्द्र चौधरी,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड इतिहास	सदस्य
13. डॉ. मंजू लाडला,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड राजनीति विज्ञान	सदस्य
14. डॉ. भागीरथ मल,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन	सदस्य
15. डॉ. महेश गिठाला,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र	सदस्य
16. श्री यशपाल,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अंग्रेजी	सदस्य
17. डॉ. राजेन्द्र सिंह,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी	सदस्य
18. डॉ. राकेश कुमार,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा	सदस्य
19. डॉ. मदन सिंह,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड ईएएफएम	सदस्य
20. श्री सुरेश चंद शुक्ला,	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन	सदस्य
21. डॉ. विभव कुमार शुक्ला	माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत	सदस्य
22. श्री मेघराज सिंह मीणा	कुलसचिव	सदस्य सचिव

नोट: डॉ. मो. नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा) बैठक में ऑनलाईन उपस्थित रहे।

डॉ. रामगोपाल शर्मा, संकायाध्यक्ष वाणिज्य , श्री रामानन्द शर्मा, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान, डॉ. राजीव माथुर, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान, डॉ. राम नारायण झा, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड संस्कृत एवं डॉ. अशोक कुमार मीणा, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड एबीएसटी बैठक में अनुपस्थित रहे।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं परिचय करवाया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किये गये:

Item Agenda (मद) 1 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 07.12.2020 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णय: कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण (Observation) के साथ की गई कि निर्णय संख्या 5.2 में एलएल.एम. की फीस रू. 1500/– की लिपिकीय त्रुटि को रू. 15000/– सुधार किया जाये। शेष कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 06.01.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णय: विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2021 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 3 :– निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 04.01.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णय: निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 04.01.2021 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 19 (2) के तहत महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में विद्या परिषद् द्वारा एक विशेषज्ञ मनोनीत करने के संबंध में निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णय: शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में विद्या परिषद् द्वारा एक विशेषज्ञ मनोनीत करने हेतु प्रत्येक विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा दस–दस प्रांध्यापकों के पैनल विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। विद्या परिषद् सभी विषयों के प्राध्यापकों के पैनल अप्रूव कर दें एवं आवश्यकतानुसार माननीय कुलपति महोदय को पैनल में से प्राध्यापकों को चयन समिति में मनोनीत करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राध्यापकों का पैनल निम्न शर्तानुसार बनाया जावे:

(i) अकादमिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कम से कम सह–आचार्य लेवल का सरकारी महाविद्यालयों का शिक्षक हो।

(ii) प्रोफशनल पाठ्यक्रमों (बी.एड., कम्प्यूटर इत्यादि) के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सरकारी शिक्षक नहीं होने की स्थिति में, कम से कम प्राचार्य लेवल का निजी महाविद्यालयों का शिक्षक हो, जिसको 10 वर्ष या अधिक का अनुभव हो।

(iii) इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में बी.ए./बी.एससी. के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कम से कम सह–आचार्य लेवल का सरकारी महाविद्यालयों का शिक्षक एवं बी.एड. के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सरकारी शिक्षक नहीं होने की स्थिति में, कम से कम प्राचार्य लेवल का निजी महाविद्यालयों का शिक्षक हो, जिसको 10 वर्ष या अधिक का अनुभव हो।

Item Agenda (मद) 5 :– प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.12.2020 के एजेण्डा निर्णय संख्या 3 (ii) के सुझावानुसार अध्ययन मण्डल के गठन पर विचार।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः विश्वविद्यालय परिनियमों में वर्तमान में अध्ययन मण्डल के गठन में असंगतता पाई जाने पर परिनियमों को रिव्यू करने का निर्णय लिया गया। संशोधित परिनियमों को विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

परिनियम 7(3)(i) के अनुसार अध्ययन बोर्ड का गठन एवं परिनियम 7(3)(ii) के अनुसार कमेटी ऑफ कॉर्सेज का गठन करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय द्वारा शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) नियुक्ति हेतु गठित कमेटी द्वारा अनुशंषित शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट-VI का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) कमेटी के संयोजक व सदस्यों तथा कार्याधिक्य के कारण हाई पावर कमेटी के संयोजक के आग्रह पर विषयवार बुलाये गये विषय–विशेषज्ञों को दिये गये मानदेय एवं स्थानीय यात्रा भत्ता का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट-VII का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों (Deans) की बैठक दिनांक 01.03.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट-VIII का अनुमोदन इस प्रेक्षण (Observation) के साथ किया गया कि कार्यवृत के एजेण्डा निर्णय संख्या 3 में प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षकों को पेपर सैटिंग चार्ज मय उत्तरकुंजी प्रति प्रश्न रू. 100/– दिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 9:– कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं समाज विज्ञान संकायों के विभिन्न विषयों की अध्ययन मण्डलों द्वारा सत्र 2020–21 हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्ताव/निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट-IX का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– राज्य सरकार की प्रवेश नीति के संबंध में क्रियान्विति और पालना के संबंध में प्रस्ताव/निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः कार्यसूची की परिशिष्ट-X का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– राजभवन के पत्रांक एफ.43 (2)आर.बी./2021/1693 दिनांक 26.03.2021 के संदर्भ में शेखावाटी इन्स्टीट्यूट, सीकर को स्वायत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव/निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय के पास स्पष्ट मापदण्ड (Criteria) नहीं हैं। अतः स्वायत्ता के क्या–क्या मापदण्ड (Criteria) हो सकते हैं एवं किन–किन बिन्दुओं पर जांच की जानी है, के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया की समस्त जानकारी लेने हेतु महाविद्यालय का प्राप्त मूल पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भिजवाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों के मापदण्ड के संबंध में प्रस्ताव/निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णयः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के मापदण्ड के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित 300 विद्यार्थी उस महाविद्यालय में पंजीकृत होने आवश्यक हैं, जिसको परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा हो। परीक्षा केन्द्र बनाते वक्त यह विशेष ध्यान रखा जाये कि विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु बहुत दूर ना जाना पड़े ताकि उनको परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

Item Agenda (मद) 13 :– विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल के गठन के संबंध में विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः मद संख्या 5 में निर्णय हो चुका है।

Item Agenda (मद) 14:– स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्रांश की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2021–22 से स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में 20 नम्बर के सत्रांश की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया गया, जिसमें विद्यार्थी अपनी पसंद के टॉपिक से तीन असाइनमेन्ट तैयार करेगा, जिनमें से बेस्ट दो असाइन्मेन्ट के अंक मान्य होंगे। इसकी प्रक्रिया संकायाध्यक्षों की कमेटी द्वारा तय किये जाने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– आनन्दम पाठ्यक्रम का परीक्षा 2021 के संबंध में विचार कर निर्णय।

निर्णयः सभी महाविद्यालयों से आनन्दम पाठ्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट मंगवा ली जाये एवं उसके अनुसार निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 16 :– अध्ययन मण्डल, ई.पी.एम.सी., यू.एम., ग्रीवेन्स कमेटी, फ्लाइंग स्कवेड, परीक्षा संबंधी अन्य समिति, रिसर्च बोर्ड, शैक्षणिक व्याख्यान, बीज भाषण (Keynote Speaker), अतिरिक्त वक्ता भाषण एवं अन्य अकादमिक समितियों के सदस्य को दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण।

निर्णयः बीज भाषण वक्ता (Keynote Speaker) को रू. 2000/–, अतिरिक्त वक्ता भाषण को रू.1000/– तथा अध्ययन मण्डल, परीक्षा समिति, यू.एम., ग्रीवेन्स कमेटी, फ्लाइंग स्कवेड कमेटी, इक्वीलेंस कमेटी, परीक्षा संबंधी अन्य समिति, रिसर्च बोर्ड इत्यादि समितियों के सदस्यों को रू. 1000/– के मानदेय भुगतान का निर्धारण

किया गया। महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु जाने वाले निरीक्षक/इंस्पेक्टर को रू. 1000/– के मानदेय भुगतान का निर्धारण किया गया। अतिविशेष कार्य के लिए गठित वरिष्ठ विशेषज्ञों की विशिष्ट समिति की बैठक में रू. 2000/– का मानदेय तय किया गया। साथ ही लॉकल कन्वीनेन्स का रू. 100/– आने तथा रू. 100/– जाने कुल रू. 200/– का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। सदस्यों/व्यक्तियों को 9 रू. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन किराया एवं टोल टेक्स के भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया। फास्ट टैग से टोल टैक्स चुकाने वाले सदस्यों को टोल संबंधी अण्डरटेकिंग देनी होगी।

Item Agenda (मद) 17 :– विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने एवं उनके शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु तत्कालीन समय एवं परिस्थितयों के अनुसार माननीय कुलपति महोदय को शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 18 :– विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः नियमित पाठ्यक्रमों का शुल्क विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 19 :– विश्वविद्यालय में प्रवेश नीति बनाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति बनाने हेतु संकायाध्यक्षों की एक कमेटी का गठन किया गया।

Item Agenda (मद) 20 :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कलेण्डर तैयार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कलेण्डर तैयार करने हेतु संकायाध्यक्षों एवं परीक्षा समिति की संयुक्त समिति विचार कर निर्णय लेगी।

Item Agenda (मद) 21 :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 का परीक्षा कलेण्डर तैयार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2021–22 का परीक्षा कलेण्डर तैयार करने हेतु संकायाध्यक्षों एवं परीक्षा समिति की संयुक्त समिति विचार कर निर्णय लेगी।

Item Agenda (मद) 22 :– विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2021–22 की विवरणिका बनाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2021–22 की विवरणिका तैयार करने हेतु संकायाध्यक्षों एवं परीक्षा समिति की संयुक्त समिति विचार कर निर्णय लेगी।

Table Agenda

Table Agenda (मद) 1: विश्वविद्यालय की Equivalence Committee के गठन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार Equivalence Committee का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2: बाह्य परीक्षकों द्वारा पेपर सेटिंग एवं परीक्षण कार्यों के बिल के साथ पोस्टल चार्ज की रसीद संलग्न नहीं करने पर न्यूनतम पोस्टल चार्ज देने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार पोस्टल चार्ज की रसीद संलग्न नहीं करने पर न्यूनतम पोस्टल चार्ज रू. 100/– का भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. **राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने पर विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के आग्रह पर उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में चरणबद्ध तरीके से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात चरणबद्ध स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया।

2. **एनसीसी को विषय के रूप में प्रारम्भ करने पर विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ऐसे महाविद्यालय जिनमें एनसीसी वर्तमान में है, उनमें एनसीसी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हुए एक वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव